ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
Prof. Krishna Kumar Singh
कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्र.: 005/2015/AT (AC)/2019/168
दिनांक : 11. 03. 2019

अधिसूचना

विद्या-परिषद की 04 मार्च, 2019 को सम्पन्न **29वीं बैठक** में **मद संख्या 14 के अंतर्गत** लिए गए निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय के **संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल** (आईएआईपी) की दिनांक 28.02.2019 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में निम्न लिखित बिंदुओं के अंतर्गत उल्लिखित प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है -

1. अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित करेगा जिसके अंतर्गत-

(i) उपयुक्त सॉफ्टवेयर और उन्नत प्रौद्योगिकी की सुविधा उपलब्ध होने तक यूजीसी विनियम- 2018 के उपबंध-6(C)एवं(F)के प्रावधानों के अनुसार शोधार्थी के शपथ-पत्र एवं शोध-निर्देशक के प्रमाण-पत्र के आधार पर शोधार्थी को अपना शोध-पत्र/शोध-निबंध/शोध-प्रबंध संबंधित उपाधि के लिए परीक्षणार्थ सशर्त प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है । इसके लिए विश्वविद्यालय उपयुक्त प्रारूप जारी करेगा ।

(ii) यदि किसी भी शोधार्थी अथवा संकाय सदस्य के किसी शोध-पत्र/शोध-निबंध/शोध-प्रबंध/ प्रकाशन/अन्य दस्तावेज़ के संबंध में साहित्यिक चोरी का कोई प्रकरण कभी भी सामने आता है या लाया जाता है तो निर्धारित प्रक्रिया द्वारा जाँच के उपरांत आरोप सिद्ध होने पर ऐसे शोधार्थी/संकाय सदस्य के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी । इसके अंतर्गत कोई भी कार्रवाई **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम- 2018 के उपबंध-12, 12.1, 12.2 के प्रावधानों** के अनुसार, संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल की अनुशंसा पर, विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन से की जाएगी ।

3. साहित्यिक चोरी की रोकथाम के संबंध में पैनल ने **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम- 2018** के उपबंध-9 के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया की संस्तुति की-

(i) शैक्षिक समुदाय के किसी सदस्य को यदि किसी शोध-पत्र, शोध-निबंध, शोध-प्रबंध, प्रकाशन अथवा अन्य दस्तावेज में साहित्यिक चोरी का साक्ष्य/प्रमाण प्राप्त होता है तो वह विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल को इस आशय की शिकायत अथवा एतद्संबंधी आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। शिकायतकर्त्ता के लिए अपने आवेदन में नाम, पता और संपर्क नम्बर लिखने के साथ ही भारत सरकार द्वारा मान्य पहचान पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ऐसी प्रत्येक शिकायत अथवा आवेदन-पत्र को दस्तावेजी प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने की दशा में ऐसी शिकायत या आवेदन प्रथम दृष्टया रद्द कर दिये जाएँगे। यूजीसी विनियम-2018 के उपबंध- 9 एवं 10 (iii) के अनुसार विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल अपनी रिपोर्ट/संस्तुति ऐसी शिकायत या आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल को विचारार्थ भेजेगा ।

प्रष्ठ 02 का 01

(ii) संबंधित प्रकरण की विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल से रिपोर्ट/संस्तुति प्राप्त होने पर, संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल द्वारा, संबंधित क्षेत्र के कम-से-कम दो विशेषज्ञों से जाँच करायी जाएगी। संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल द्वारा तैयार किये गए डेटाबेस में से जाँच हेतु दोनों विशेषज्ञों का नामांकन कुलपति द्वारा किया जाएगा । इस समूची प्रक्रिया में शत-प्रतिशत गोपनीयता रखी जाएगी। इसका उत्तरदायित्व संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल का होगा । संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल शिकायत के सही पाये जाने पर समुचित दंड की संस्तुति विश्वविद्यालय के कुलपति को करेगा। संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल की संस्तुति/अनुशंसा की समुचित आधार पर पुनरीक्षा भी कर सकता है। हीं होगी । संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल, जाँच की यह समूची प्रक्रिया विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल से प्रकरण प्राप्ति के 45 दिन के भीतर निस्तारित करने का यत्न करेगा। किंतु, किसी भी दशा में यह अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होगी। फिर भी, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने पर कुलपति द्वारा यह समय-सीमा अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ायी जा सकती है।

5. विश्वविद्यालय स्तर पर कुलपति और विद्यापीठ स्तर पर संबंधित अधिष्ठाता द्वारा समुचित दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर, कोई शिकायत/आवेदन प्राप्त न होने पर भी, साहित्यिक चोरी के प्रकरण का स्वतःसंज्ञान लिया जा सकता है और उसे आवश्यक कार्रवाई हेतु संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल को सीधे संस्तुत किया जा सकता है ।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

11/03/19

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रतिलिपिः *सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।*

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. विश्वविद्यालय के समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष।
5. परीक्षा विभाग।
6. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
7. सहायक कुलसचिव (स्थापना एवं प्रशासन)।
8. अकादमिक संयोजक/प्रभारी, अकादमिक।
9. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. संबंधित फाइल

पोस्ट– हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र), भारत
P.O.- Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), India
वेब साईट/Website : www.hindivishwa.org